न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

(361)

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी-4600/2018/सीधी/भूअ०रा०

श्री विनोद भार्गव एड. द्वारा आज दि. 24-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-8-18 नियत। रीडर ऑफ कोर्ट 24-7-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 24-07-2018

रविकर प्रसाद पुत्र त्रिवेणी प्रसाद ब्राम्हण, निवासी– ग्राम धनखोरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. जगई सिंह गोंड़ पुत्र कल्याण सिंह गोंड़,
2. मोलई सिंह गोंड़ पुत्र ललऊ सिंह गोंड़,
3. रघुवीर सिंह गोंड़ पुत्र मंगल सिंह गोंड़, समस्त निवासीगण– ग्राम धनखोरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

4. फत्ते सिंह पुत्र बुद्धी सिंह गोंड़, निवासी– ग्राम धनखोरी तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

--तरतीवी/अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अपील/2012–13 में पारित आदेश पारित दिनांक 27/07/2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4600 / 2018 / सीधी / भू.रा.

रविकर प्रसाद विरूद्ध जगई सिंह गोंड आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–02–2019	आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 61 / अपील / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 27–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 25–4–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/2/19 (आर.के. जैन) सदस्य	